UPMO010088122018

न्यायालय खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण/जिला न्यायाधीश, मुरादाबाद।

पीठासीन अधिकारी– सै0 माऊज़ बिन आसिम, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O.Code No. UP-1895

सिविल अपील (एफ0एस0एस0ए0) संख्या–89/2018

1– नितेन्द्र तिवारी पुत्र श्री गिरिराज किशोर उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम नहचलपुर, थाना मथुरा, तहसील इग्लास, जनपद अलीगढ़।

2– लाइसेंसी सहज मिल्क प्रोड्यूसर्स कम्पनी लिमिटेड, क्रॉस मॉल सेकेण्ड फ्लोर, प्लाट संख्या–5 व 6, आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा योजना सिकन्दरा बौदला रोड, आगरा–282007.

.................अपीलार्थीगण।

बनाम

1– उ0प्र0 राज्य द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, अमरोहा।

2– उ0प्र0 राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता(सिविल)।

.............प्रत्यर्थीगण।

निर्णय

1. अपीलार्थी/खाद्य कारोबारकर्ता ने प्रश्नगत सिविल अपील खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (जिसे आगे की धाराओं में अधिनियम के नाम से सम्बोधित किया गया है) की धारा–70 के अन्तर्गत न्याय निर्णायक अधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0/रा0), अमरोहा द्वारा वाद संख्या–01436/2017, सरकार बनाम नितेन्द्र तिवारी आदि में पारित प्रश्नगत निर्णय और आदेश दिनांकित 30.07.2018 के विरूद्ध योजित की है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि– खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, जनपद अमरोहा ने अभिहित अधिकारी, जनपद अमरोहा से नियमानुसार अधिनियम की धारा–36(ई) में अनुमति प्राप्त कर न्याय निर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), अमरोहा के समक्ष विपक्षी संख्या–1 व 2 के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र इस

Digitally signed by SYED MAOOZ BIN ASIM
Date: 2026.08.05 17:21:58 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आशय का प्रस्तुत किया था कि, उसने दिनांक 22.04.2017 को समय लगभग 09:30 बजे प्रातः स्थान सहज मिल्क प्रोडसूर्स कम्पनी बछरायूँ, अमरोहा स्थित प्रतिष्ठान का निरीक्षण खाद्य कारोबारकर्ता/प्रतिष्ठान इंचार्ज नितेन्द्र तिवारी पुत्र श्री गिरीराज किशोर, निवासी ग्राम नहचलपुर, डाकखाना खास, थाना मधरा, तहसील इग्लास, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश की उपस्थिति में अपने पद का परिचय देते हुए किया। मौके पर उक्त प्रतिष्ठान में दूध का क्रय किया जा रहा था, सेन्टर इंचार्ज नितेन्द्र तिवारी ने बताया कि, यह दूध आगे विक्रय के लिए भेजा जाएगा। प्रतिष्ठान में मौके पर लगभग 500 लीटर मिश्रित दूध स्टोर किया हुआ मिला, जिसमें मिलावट का सन्देह होने पर उसके द्वारा उक्त मिश्रित दूध में से 02 लीटर मिश्रित दूध क्रय कर नियमानुसार नमूना संख्या–जे0पी0एन0/2017 एस0एल0 नं0–660 संग्रहित किया। उक्त संग्रहित नमूने का एक भाग जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, गोरखपुर को दिनांक 24.04.2017 को भेजा तथा नमूने का शेष भाग दिनांक 24.04.2017 को अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, अमरोहा के कार्यालय में जमा करा दिया था। खाद्य विश्लेषक, उ0प्र0 गोरखपुर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट संख्या–जी–156, दिनांकित 06.05.2017 के अनुसार उपरोक्त नमूने को अधोमानक पाया तथा विश्लेषक द्वारा नमूने के संबंध में इस आशय की राय दी गयी थी कि, " On the basis of standard of mixed milk the sample is about 53% deficient in milk fat and 21% deficient in milk solid not fat. Hence the sample is substandard." इस प्रकार खाद्य कारोबारकर्ता इंचार्ज नितेन्द्र तिवारी पुत्र श्री गिरीराज किशोर, निवासी ग्राम नहचलपुर, डाकखाना खास, थाना मधरा, तहसील इग्लास, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश तथा लाईसेन्सी सहज मिल्क प्रोड्यूसर्स कम्पनी लि0 क्रॉस रोड मॉल, सेकेन्ड फ्लोर प्लाट नं0–5, 6 सेक्टर–13, आवास विकास कॉलोनी सिकन्दरा योजना सिकन्दरा–बोदला रोड, आगरा (उ0प्र0) ने अधोमानक मिश्रित दूध का क्रय–विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा–26(2)(ii) का उल्लंघन किया, जो इसी अधिनियम की धारा–51 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उक्त आधारों पर विपक्षी संख्या–1 नितेन्द्र तिवारी व विपक्षी संख्या–2 लाइसेंसी सहज मिल्क प्रोड्यूसर्स कम्पनी लिमिटेड को दण्डित करने की याचना की गयी।

3. न्याय निर्णायक अधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0/रा0), अमरोहा द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए विपक्षी संख्या–1 नितेन्द्र तिवारी व विपक्षी संख्या–2 लाइसेंसी सहज मिल्क प्रोड्यूसर्स कम्पनी लिमिटेड को इस आशय के कारण बताओ नोटिस दिनांक 29.12.2017 को जारी किये गये कि, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, अमरोहा द्वारा दिनांक 22.04.2017 को समय लगभग 09:30 बजे प्रातः स्थान सहज मिल्क प्रोडसूर्स कम्पनी बछरायूँ, अमरोहा स्थित प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया। प्रतिष्ठान में मौके पर लगभग 500 लीटर मिश्रित दूध स्टोर किया हुआ मिला, जिसमें मिलावट का सन्देह होने पर उक्त मिश्रित दूध का नमूना नियमानुसार संग्रहित कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, गोरखपुर को भेजा गया था। खाद्य विश्लेषक, उ0प्र0 गोरखपुर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त नमूने को अधोमानक पाया गया, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा–26(2)(ii) का उल्लंघन किया, जो इसी अधिनियम की धारा–51 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी, अमरोहा द्वारा आपके विरूद्ध वाद पंजीकृत कर कार्यवाही किये जाने हेतु आख्या प्रस्तुत की गयी है। आप उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना लिखित उत्तर, कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति के 30 दनि के अन्दर, दिनांक 29.01.2018 तक प्रस्तुत करें।

4. उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में विपक्षी संख्या–1 व 2 ने विचारण न्यायालय के समक्ष इस आशय का संयुक्त स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया था कि, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 22.04.2017 को 09:30 बजे प्रातः सहज मिल्क प्रोड्यूसर्स कं0 बछरायूँ अमरोहा स्थित प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया, जिसमें लगभग 500 लीटर मिश्रित दूध अवशीतन केन्द्र (एम0सी0सी0) पर था, जिसमें से 02 लीटर दूध नमूने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लिया और दिनांक 24.04.2017 को खाद्य विश्लेषक, गोरखपुर को जॉच रिपोर्ट के लिए कोरियर के माध्यम से भेजा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी नमूना लेते समय कम से कम दो साक्षियों को नमूने लेने के बाद बुलायेगा और उनके हस्ताक्षर भी समस्त नमूना दस्तावेजों पर करायेगा, खाद्य कारोबारकर्ता से नमूना लेने के बाद चारों भागों वाले नमूनो में फार्मेलीन मिलाकर बांसी पेपर से बांधकर चारों भागों पर खाद्य कारोबारकर्ता से हस्ताक्षर एवं अंगूठा छाप लगवायेगा, धारा–38 की उपधारा–(ग) यह व्यवस्था करती है कि, खाद्य सुरक्षा अधिकारी उस खाद्य

पदार्थ का नमूना लेने के पश्चात खाद्य कारोबारकर्ता की सुरक्षित अभिरक्षा में रख सकेगा, क्योंकि मिश्रित दूध के लिए सामान्य टेम्प्रेचर की आवश्यकता होती है, नहीं तो मिश्रित दूध शीघ्र खराब हो जायेगा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रारूप–5क की प्रति उसी समय नहीं दी थी न ही इस बाबत सूचना सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के कार्यालय आगरा को दी थी कि, वह चाहे तो संग्रहित मिश्रित दूध के नमूने की जॉच किसी प्रत्यायित प्रयोगशाला से कराना करा सकता है, दूध अवशीतन केन्द्र (एम0सी0सी0) पर केवल कम्पनी के अंश धारकों का ही मिश्रित दूध संग्रहित किया जाता है, किसी भी बाहरी व्यक्ति को, जो कम्पनी का अंश धारक नहीं है, से दूध न तो खरीदा जाता है और न ही बाहरी व्यक्ति को दूध का विक्रय किया जाता है और परिसर की दीवारो पर लिखा होता है कि, मिश्रित दूध बिक्री के लिए नही है, इस प्रकार जहाँ से दूध विक्रय नहीं किया जा सकता, वहाँ से नमूना भी नहीं लिया जा सकता, सेन्टर इंचार्ज मिश्रित दूध का विक्रय नहीं करता, धारा–31 की उपधारा–(2) खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण के बारे में प्रावधान करती है किसी लघु उद्योग या कुटीर उद्योग को लागू नहीं होगी, मिश्रित दूध 500 लीटर एक बडे कन्टेनर में दूध अवशीतन केन्द्र (एम0सी0सी0) पर संग्रहित कर ठंडा करके कम्पनी के द्वारा बड़े ट्रैकर के माध्यम से अन्य डेयरियों को भेजा जाता है, मिश्रित दूध को एकसार करके नमूना नहीं लिया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने न तो नोटिस में ही कहीं लिखा है किख मैंने मिश्रित दूध को एकसार किया था और न ही प्रारूप–5क पर लिखा है कि, मैंने 500 लीटर संग्रहित दूध को एकसार करके उसमें से मिश्रित 02 लीटर दूध का नमूना लिया था, नमूने के चौथे भाग को सीव्ड बन्द आधान को अभिहित अधिकारी द्वारा नमूना न देने के कारण नमूने की जॉच प्रत्यायित प्रयोगशाला से कराने के अधिकार से वंचित किया, धारा–3(त) "खाद्य प्रयोगशाला' से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य अभिकरण द्वारा स्थापित कोई खाद्य प्रयोगशाला या संस्थान अभिप्रेत है और जो परीक्षण और मूल्यांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड या किसी समतुल्य प्रत्यायन अभिकरण द्वारा प्रत्यायित है तथा धारा–43 के अधीन खाद्य प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त है, अभिहित अधिकारी ने न तो सेन्टर इंचार्ज को धारा–46(4) का नोटिस भेजा और न ही सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड कार्यालय, आगरा को ही

नोटिस भेजने की कोई (ए0डी0) अभिस्वीकृति पत्र नोटिस भेजने की रजिस्ट्री इंचार्ज व कम्पनी नमूने के एक भाग की जॉच रेफरल लैब से कराने के अपने अधिकार से वंचित हो गया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर कोई बोतल, मर्तवान/जार को साफ व सूखा नहीं किया था, आज तक चैनल ने खुलासा किया है, जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया है कि, हम नामचीन कम्पनियों का नमूना कैसै फेल कराते हैं, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2011 के नियम–2.4.1(9)(iv) आधान के ऊपर से नीचे तक पूर्णरूप से एक कागज की पर्ची को चारों तरफ लगाया जायेगा, जिस पर अभिहित अधिकारी या खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे और नमूने की कोड संख्या भी पर्ची पर चिपकायी जायेगी, जिस व्यक्ति से नमूना लिया गया है, उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप को ऐसी रीति में लगाया जायेगा, जिसमें कागज की पर्ची ओर रेपर दोनों पर हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप आ जाये। उपरोक्त आधारों पर कारण बताओ नोटिस निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

5. विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त आपत्ति के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्यापत्ति इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौजूद जनता के गवाहान बुलाये थे, किन्तु उन्होंने इन्कार किया, इसकी प्रविष्टि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके के कागज प्रपत्र–5क पर लिखी है, जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता संख्या–1 के हस्ताक्षर हैं, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निमयानुसार नमूने का संग्रहण किया गया है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूने हेतु खरीदे गये दूध में 40 प्रतिशत शक्ति की फार्मेलीन नियमानुसार मिलायी गयी, जो मिश्रित दूध के कन्टेंट को लम्बे समय तक सुरक्षित रखता है, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रपत्र–5क का नोटिस सेन्टर इंचार्ज खाद्य कारोबारकर्ता संख्या–1 तथा कम्पनी खाद्य कारोबारकर्ता संख्या–2 को मौके पर ही प्राप्त कराया गया, प्रपत्र–5क पर खाद्य कारोबारकर्ता संख्या–1 के प्राप्ति के हस्ताक्षर हैं, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा–38 में प्रदत्त शक्तियों के तहत ही नमूना संग्रहण किया है, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा–31(2) के तहत उपधारा–(1) की कोई बात ऐसे किसी छोटे विनिर्माता को, जो स्वयं किसी खाद्य पदार्थ का विनिर्माण या विक्रय करता है, या किसी छोटे फुटकर विक्रेता, हॉकर,

फेरी वाले या किसी अस्थायी स्थल धारक या खाद्य कारोबार से सम्बन्धित किसी लघु उद्योग या कुटीर उद्योग या ऐसे किसी अन्य उद्योग या खाद्य कारोबारकर्ता को लागू नहीं होती, किन्तु वे स्वयं को मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद खाद्य की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले, बिना या उपभोक्ताओं के हितों को प्रभावित किए बिना ऐसे प्राधिकारी के पास और ऐसी रीति में रजिस्टर करायेगें, जैसे विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, नमूना संग्रहण के दौरान मौके पर ही सील्ड नमूनों में से एक भाग की जाँच किसी प्रत्यायित प्रयोगशाला से कराने को कहा तो खाद्य कारोबारकर्ता संख्या–1 ने इंकार कर दिया, इसका विवरण खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रपत्र–5क पर दर्ज है, खाद्य कारोबारकर्ता संख्या–1 व 2 को नियमानुसार नोटिस भेजा गया था तथा नियमनुसार नमूना संग्रहित किया गया था, आज तक चैनल से सम्बन्धित खुलासे का सम्बन्ध उक्त वाद से नहीं है। उपरोक्त आधारों पर आपत्ति को निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

6. न्याय निर्णायक अधिकारी ने पक्षों को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन करने के उपरान्त प्रश्नगत आदेश दिनांकित 30.07.2018 के माध्यम से विपक्षी संख्या–1/अपीलार्थी नितेन्द्र तिवारी पर उक्त अधिनियम की धारा–51 के अन्तर्गत अंकन 10,000/–रूपये व विपक्षी संख्या–2/अपीलार्थी लाइसेंसी सहज मिल्क प्रोड्यूसर्स पर अंकन 1,00,000/–रूपये की शास्ति अधिरोपित की और शास्ति अदा न करने पर, शास्ति की धनराशि की वसूलयाबी की कार्यवाही भू–राजस्व की भांति अमल में लाये जाने हेतु निर्देशित किया है, जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा निम्न आधारों पर अपील प्रस्तुत की है।

7. <u>संक्षेप में अपील के आधार इस प्रकार हैं कि</u>– अपीलार्थीगण को विधायन द्वारा बनाई गयी कानून व्यवस्था से वंचित कर दिया अपीलार्थीगण के चौथे भाग का विश्लेषण एन0ए0बी0एल0 प्रत्यायित/एफएसएसएआई अधिसूचित प्रयोगशाला भेजने की लिखित सूचना नहीं दी, जिसकी डाक रसीद ए0डी0 पत्रावली पर नहीं है, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूना लेते समय कोई भी स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया है, जो विद्यायन द्वारा बनाये गये अधिनियम के नियम–2.4.1(1) में नमूना लेते समय कम से कम दो साक्षियों को बुलाएगा, 2.4.1(2) में तैयार किये गये सभी प्रारूपों और दस्तावेजों पर इन साक्षियों के हस्ताक्षर करायेगा, न्याय

निर्णायक अधिकारी के पास जाँच करने की शाक्ति अधिनियम के द्वारा प्रदत्त की गई है, लेकिन न्याय निर्णायक अधिकारी ने मामले के तथ्यों एवं विधिक प्रक्रिया नहीं अपनायी है, केवल खाद्य विश्लेषक, गोरखपुर की रिपोर्ट के आधार पर ही अपना आदेश पारित किया है, दूध अवशीतन केन्द्र (एम0सी0सी0) पर केवल कम्पनी के अंश धारकों का ही मिश्रित दूध संग्रहित किया जाता है, किसी बाहरी व्यक्ति, जो कम्पनी का अंश धारक नहीं है, से मिश्रित दूध नही खरीदा जाता है और न ही बाहरी व्यक्ति को मिश्रित दूध बेचा जाता है और (एम0सी0सी0) के परिसर की दीवारों पर लिखा होता है कि, मिश्रित दूध बिक्री के लिए नहीं, इस प्रकार जहाँ से दूध विक्रय नहीं किया जाता, वहाँ से नमूना नही लिया जा सकता, दूध अवशीतन केन्द्र (एम0सी0सी0) से दूध को संग्रहीत कर कम्पनी के बड़े प्लांट में भेजा जाता है, जहाँ पर मिश्रित दूध को फैट व एस0एन0एफ0 के मानक के अनुसार सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी मिश्रित दूध को चार रूपों में फुलक्रीम, टोंड, डबल टोंड, स्किम्ड मिल्क के रूप में थैलियों में पैकिंग करके बाजार में बेचता है, अभिहित अधिकारी ने न तो सेन्टर इंचार्ज को धारा–46(4) का नोटिस भेजा न ही सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के कार्यालय आगरा को ही नोटिस भेजा, जिससे वह मिश्रित दूध के नमूने की जॉच रेफरल लैब से करा लेता तथा नोटिस भेजने की कोई (ए0डी0) अभिस्वीकृति पर, रजिस्ट्री रसीद पत्रावली पर नहीं है, परिवाद सक्षम न्यायालय में योजित करने की लिखित सहमति हेतु अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, अमरोहा को प्रेषित की, जिसके परिशीलन के उपरान्त अभिहित अधिकारी, अमरोहा ने खाद्य कारोबारकर्ता नौ सिंह पुत्र श्री हरीशचन्द्र, निवासी डिडौली, कस्बा डिडौली डाकखाना व थाना डिडौली, जिला अमरोहा के विरूद्ध न्याय निर्णायक अधिकारी अमरोहा के न्यायालय में वाद योजित कर प्रभावी पैरवी करने हेतु अधिकृत किया है, इस प्रकार नितेन्द्र तिवारी व सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी के विरूद्ध वाद योजित करने के लिए कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी और नितेन्द्र तिवारी व सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी के विरूद्ध वाद योजित नहीं किया जा सकता, अधिनियम की धारा–3(ओ) खाद्य कारोबारकर्ता से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके द्वारा कारोबार किया जाता है या जिसका वह स्वामी है, नितेन्द्र तिवारी न तो कहीं से भी दूध खरीदता है और न हीं किसी भी व्यक्ति को दूध बेचता है, केवल दूध ठंडा

करके कम्पनी के बड़े दूसरे प्लान्ट में थैली पैंकिग के लिए भेजता है, सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड नेशनल डेयरी डबलपमेन्ट बोर्ड (डेयरी सर्विसेज) के मार्ग दर्शन में विश्व बैंक की योजना के अन्तर्गत दूध की लागत कम करने व उत्पादन बढ़ाने हेतु किसानों के हित के लिए बनायी गयी है, जिसका लाभ सीधे किसानो को मिलता है, जो कि कम्पनी के अंश धारक हैं और अन्य व्यक्तियों (जो कि इसके अंशधारक न हो) से दूध नहीं ले सकती है, खाद्य सुरक्षा और मानक ाियम, 2011 के नियम–2.4.1(9)(iv) व्यवस्था करता है कि, नमूना लेने के उपरान्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी आधान के ऊपर से नीचे तक पूर्ण रूप से एक कागज की पर्ची को चारों तरफ से लगाया जायेगा, जिस पर अभिहित अधिकारी या खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी ब हस्ताक्षर होंगे और नमूने की कोड संख्या भी पर्ची पर चिपकाई जायेगी, जिस व्यक्ति से नमूना लिया गया है, उस व्यक्ति के हस्ताक्षर व अंगूठे की छाप को ऐसी रीति से लगाया जायेगा, जिसमें कागज की पर्ची और रेपर दोनों पर हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप आ जाये, लेकिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी न सेन्टर इंचार्ज से नमूने पर कोई हस्ताक्षर व अंगूठा निशान नहीं लगवाया था, दिनांक 20 अक्टूबर, 2015 को आज तक न्यूज चैनल के माध्यम से एक स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा किया गया कि "बिकते हैं फूड इंस्पेक्टर सौदा हमारी सेहत का" सैंपल ऐसे करते हैं फेल, यू0पी0 के हापुड़ से सटे पिलखुआ में एफ0एस0एस0आई0 के फूड इंस्पेंक्टर रमेश चन्द्र बताते हैं कि, कैसे नामी–गिरामी कम्पनियों के सैम्पल फेल कर देते हैं, फूड इंस्पेक्टर बताते हैं कि, हम उस सैम्पल को ठीक से सील नहीं करेंगे, लैब जाने में चार–पाँच दिन लगेंगे दूध खराब हो जायेगा, ये हमारे पास पास सैंपल वाली शीशी है, कुछ ऐसा मोड़ देंगे कि दोबारा खोला जा सके, कौन जानता है सील कितनी मोड़ी घर ले आए, खोल देंगे उसे उसमें कुछ एक्स्ट्रा मटीरियल डाल देंगे, फिर वापस सील कर देंगे, जाँच के लिए भेज देगें ऐसे करते हैं, नामचीन कम्पनियों के नमूने फेल, न्याय निर्णायक अधिकारी ने जो दिनांक 30.07.2018 को आदेश पारित किया है, वह विधि का ज्ञान न रखते हुए प्रार्थी द्वारा दी गई लिखित वहस को न पढ़कर मनमाने तरीके से किया है, जो निराधार है एवं निरस्त होने योग्य है, न्याय निर्णायक अधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व), अमरोहा द्वारा प्रश्नगत आदेश अभिलिखित करते समय घोर अनियमितता

की गयी है, धारा–3(3) खाद्य प्रयोगशाला को परिभाषित करती है, खाद्य प्रयोगशाला से तात्पर्य है, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य अभिकरण द्वारा स्थापित कोई खाद्य प्रयोगशाला या संस्थान अभिप्रेत है और जो परीक्षण और मूल्यांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यापन बोर्ड या किसी समतुल्य प्रत्यापन अभिकरण द्वारा प्रत्यायित है तथा धारा–43 के अधीन खाद्य प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त है। उपरोक्त आधारों पर अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दिनांकित 30.07.2018 को निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

8. दौरान बहस अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपीलार्थीगण के जिस प्रतिष्ठान से मिश्रित दूध का नमूना संकलित किया गया है, उस दूध अवशीतन केन्द्र पर केवल कम्पनी के अंशधारकों का ही मिश्रित दूध संग्रहित किया जाता है, उक्त केन्द्र से न दूध खरीदा जाता है और न ही बाहरी व्यक्ति को दूध विक्रय किया जाता है। अभिहित अधिकारी ने अपीलार्थीगण को अधिनियम की धारा–46(4) के अन्तर्गत नमूने की पुनः जांच निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला से कराये जाने हेतु प्रेषित कोई नोटिस प्रेषित नहीं किया गया। जिस प्रयोगशाला से संकलित नमूने का परीक्षण कराया गया है, वह परीक्षण की दिनांक को एक्रिडेटिड नहीं थी। अभियोजन स्वीकृति में खाद्य कारोबारकर्ता के रूप में नौ सिंह नाम के व्यक्ति को दर्शित किया गया है, जिसका अपीलार्थीगण के उपरोक्त केन्द्र से कोई सम्बन्ध नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय व आदेश पूर्ण रूप से विधि–विरूद्ध है और निरस्त किये जाने योग्य है।

9. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क– दौरान बहस विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दीवानी) ने यह तथ्य स्वीकार किया कि, प्रश्नगत दूध के नमूने का परीक्षण जिस लैब से कराया गया है, वह लैब परीक्षण की दिनांक को एक्रिडेटिड नहीं थी। इसी आधार पर प्रश्नगत निर्णय को विधि–विरूद्ध आदेश की संज्ञा नहीं दी जा सकती। विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश पूर्ण रूप से विधि–सम्मत् है। आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उक्त आधारों पर अपील को निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

10. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी) को विस्तार से सुना तथा पत्रावली व

अन्य सुसंगत प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया गया।

11. अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत मामले में विनिश्चायक बिन्दु यह उभरकर आते हैं कि–

(i)– क्या प्रश्नगत मामले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा–46(4) के आज्ञापक प्रावधान का अनुपालन किया गया है अथवा नहीं?

(ii)– क्या खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा–43 के तहत खाद्य विश्लेषक, उ0प्र0 गोरखपुर की रिपोर्ट साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है?

12. उपरोक्त दोनों विनिश्चायक बिन्दु एक–दूसरे से पृथक आधारों पर विरचित किये गये हैं, इसलिए सुविधा की दृष्टि से दोनों बिन्दुओं का निस्तारण पृथक तौर पर किया जाना उचित प्रतीत होता है।

निस्तारण विनिश्चायक बिन्दु संख्या–(i)

13. उक्त बिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि, क्या प्रश्नगत मामले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा–46(4) के आज्ञापक प्रावधान का अनुपालन किया गया है अथवा नहीं?

14. उपरोक्त बिन्दु के गुण–दोष के आधार पर विवेचना किये जाने से पूर्व बिन्दु से सुसंगत धारा एवं विनियम का उल्लेख किया जाना उचित प्रतीत होता है।

15. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा–46(4) निम्नानुसार हैः–

> ''.....खाद्य विश्लेषक रिपोर्ट के विरूद्ध अपील, अभिहित अधिकारी के समक्ष होगी, जो यदि वह ऐसा विनिश्चिय करता है, मामले को खाद्य प्राधिकारी द्वारा यथा अधिसूचित परामर्श खाद्य प्रयोगशाला की राय के लिए निर्देशित करेगा।''

16. खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 का नियम–2.4.6 निम्नानुसार है–

जब खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के विरूद्ध खाद्य

कारोबारकर्ता द्वारा अभिहित अधिकारी को धारा–46 की उपधारा–(4) के अधीन किये गये उपबन्ध के अनुसार अपील की जाती है, तब अभिहित अधिकारी उसके समक्ष रखी गयी सामग्री पर विचार करने के पश्चात और खाद्य ऑपरेटर को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात ऐसी अपील प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर, यदि वह ऐसा निर्णय लेता है, सामग्री निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला को भेजेगा तथा निर्दिष्ट प्रयोगशाला को नमूने के एक भाग को तब प्रेषित करेगा। ऐसी अपील प्रारूप–8 में की जायेगी और इस अपील को अभिहित अधिकारी से विश्लेषण की रिपोर्ट की प्रति प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर फाइल किया जाएगा। इस बाबत निर्दिष्ट प्रयोगशाला की रिपोर्ट अंतिम होगी।

17. इस प्रकार खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की धारा–46(4) व खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम, 2011 के नियम–2.4.6 का एक साथ अवलोकन करने से परिलक्षित होता है कि, खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के विरूद्ध खाद्य कारोबारकर्ता को अपील का वैधानिक अधिकार दिया गया है, जिसके माध्यम से वह खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट को विधि–सम्मत तरीके से चुनौती दे सकता है।

18. प्रश्नगत प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपीलार्थीगण के प्रतिष्ठान से दिनांक 22.04.2017, को नमूना लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट दिनांक 17.10.2017 को प्राप्त हुई थी। खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 के नियम–2.4.2(6) के अनुसार उक्त विश्लेषण आख्या की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को प्रेषित की जानी चाहिए थी, जिसके प्रतिष्ठान से नमूना लिया गया था। खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम, 2011 का नियम–3.1.2(6) विनिर्दिष्ट रूप से यह प्रावधानित करता है कि, इन नियमों के अधीन जारी की गयी कोई सूचना उस व्यक्ति या सम्यक रूप से उसके प्रतिनिधि को व्यक्तिगत रूप से दी जायेगी या उस व्यक्ति के निवास स्थान या उसके अन्तिम ज्ञात निवास स्थान पर, जहां उसने कारोबार किया है, रजिस्ट्रीकृत रसीदी डाक द्वारा भेजी जायेगी और यदि उपरोक्त विनिर्दिष्ट दोनों रीतियों में से उस व्यक्ति को तामील नहीं किया जा सकता तो उसके परिसर के बाहरी द्वार पर या सहज दृश्य स्थान पर ऐसी सूचना चस्पा कर दी जायेगी, जिसकी लिखित रिपोर्ट पर दो व्यक्तियों द्वारा

गवाही की जायेगी। पत्रावली पर उपलब्ध कागज संख्या–अ3/10 के अवलोकन से अभिहित अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा–46(4), तत्सम्बन्धी नियम–2.4.2(6) के प्रावधानों के अनुपालन में उक्त रिपोर्ट अपीलार्थीगण को दिनांक 17.10.2017 को जरिये पंजीकृत पत्रांक संख्या–एफएसडीए/नोटिस/2017/828, 829 के माध्यम से प्रेषित किया जाना परिलक्षित होता है, परन्तु पत्रावली पर ऐसी कोई डाक रसीद अथवा पावती उपलब्ध नहीं है, जो यह दर्शाती हो कि, उक्त पत्र अपीलार्थीगण को या उनके सम्यक प्रतिनिधि को व्यक्तिगत रूप से दिया गया हो। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर ऐसा भी कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, जिससे यह परिलक्षित होता हो कि, उपरोक्त दोनों रीतियों में से अपीलार्थीगण पर तामील न हो पाने के कारण उनके परिसर के बाहरी द्वार पर या सहज दृश्य स्थान पर उक्त पत्र चस्पा किया गया हो, जिसके आधार पर यह निर्धारित किया जा सके कि, उपरोक्त नोटिस अपीलार्थीगण को प्रेषित किया गया, जो अपीलार्थीगण पर तामील हुआ। अर्थात् खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपनी याचिका के समर्थन में कोई भी ऐसा दस्तावेज प्रेषित नहीं किया गया, जिससे नियमानुसार अपीलार्थीगण पर धारा–46(4) के आज्ञापक नोटिस की तामील होना प्रमाणित होता हो।

19. इस प्रकार नोटिस की तामील के अभाव में अपीलार्थीगण खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के विरूद्ध रेफरल लैब में अपील करने के अपने आज्ञापक अधिकार से वंचित हो गये, अर्थात् अभियोजन द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा–46(4) के आज्ञापक प्रावधान का उल्लंघन किया गया है। अपीलार्थीगण ने न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपनी आपत्ति कागज संख्या–अ6/3 के पैरा नं0–12 में उक्त बिन्दु को अभिलिखित किया है, परन्तु न्याय निर्णायक अधिकारी ने उक्त बिन्दु का निर्धारण किये बिना, प्रश्नगत निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है। तद्नुसार विनिश्चायक बिन्दु संख्या–(i) निस्तारित किया जाता है।

<u>निस्तारण विनिश्चायक बिन्दु संख्या</u>–(ii)

20. उक्त बिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि, क्या खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा–43 के तहत खाद्य

विश्लेषक, उ0प्र0 गोरखपुर की रिपोर्ट साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है?

21. इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा–3(त) में खाद्य प्रयोगशाला को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार खाद्य प्रयोगशाला से तात्पर्य केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य अभिकरण द्वारा स्थापित कोई खाद्य प्रयोगशाला या संस्थान अभिप्रेरित है और जो परीक्षण और मूल्यांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्टीय प्रत्यायन बोर्ड या किसी समतुल्य प्रत्यायन अभिकरण द्वारा प्रत्यायित है तथा धारा–43 के अधीन खाद्य प्राधिकरण के द्वारा मान्यता प्राप्त है।

22. इसके अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा–43 के अनुसार–<u>प्रयोगशालाओं, अनुसंधान संस्थाओं, और परामर्श खाद्य प्रयोगशाला की मान्यता और प्रत्यायन</u>–

> (1) खाद्य प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन खाद्य विश्लेषकों द्वारा नमूनों का विश्लेषण करने के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रत्यायित खाद्य प्रयोगशालाओं और अनुसंधान संस्थाओं को या किसी अन्य प्रत्यायन अभिकरण को अधिसूचित कर सकेगा।
>
> (2) खाद्य प्राधिकारी, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों और विनियमों द्वारा परामर्श खाद्य प्रयोगशाला को सौंपे गए कृत्यों को करने के लिए एक या अधिक परामर्श खाद्य प्रयोगशाला या प्रयोगशालाओं को, अधिसूचना द्वारा, स्थापित करेगा या मान्यता देगा।
>
> (3) खाद्य प्राधिकारी निम्नलिखित विनिर्दिष्ट करते हुए विनियम विरचित कर सकेगा–
>
> (क) खाद्य प्रयोगशाला और परामर्श खाद्य प्रयोगशाला के कृत्य और वह या वे स्थानीय क्षेत्र जिसके या जिनके भीतर ऐसे कृत्य किए जा सकेंगे;
>
> (ख) विश्लेषण या परीक्षणों के लिए खाद्य वस्तुओं के नमूनों को उक्त प्रयोगशाला को सौंपने की प्रक्रिया, उस पर प्रयोगशाला की रिपोर्टों के प्ररूप और ऐसी रिपोर्टों की बाबत संदेय फीसें; और

(ग) ऐसे अन्य विषय जो उक्त प्रयोगशाला को अपने कृत्यों को प्रभावी रूप से करने के लिए समर्थ बनाने के लिए आवश्यक या समीचीन हों।

23. उपरोक्त दोनों धाराओं का एक साथ अवलोकन करने से यह तथ्य स्पष्ट है कि, धारा–3(त) के अन्तर्गत खाद्य प्रयोगशाला, वह प्रयोगशाला है, जो या तो राज्य या केन्द्रीय प्रयोगशाला है या कोई अन्य सम्बद्ध प्रयोगशाला है, जिसे एन0ए0बी0एल0 और अधिनियम की धारा–43 के तहत खाद्य प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त हो। किसी प्रयोगशाला का मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला कहे जाने पहले निम्न दो परीक्षणों से गुजरना होता है–1. प्रयोगशाला एन0ए0बी0एल0 द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए और 2. अधिनियम की धारा–43 के तहत खाद्य प्राधिकरण द्वारा भी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। धारा–43 की उपधारा–1 से पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि, खाद्य प्राधिकरण द्वारा अधिसूचना के माध्यम से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में ही खाद्य विश्लेषक या विश्लेषण के लिए खाद्य पदार्थ को भेजा जा सकता है।

24. प्रश्नगत मामले में संकलित नमूने का परीक्षण खाद्य विश्लेषक, गोरखपुर द्वारा दिनांक 30.05.2017 से दिनांक 04.05.2017 के मध्य किया गया, परन्तु राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रत्याशित प्रयोगशालाओं की सूची, जो भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग–3, खण्ड–4, दिनांक 06.12.2016 को प्रकाशित है, के क्रम संख्या–10 पर वर्णित विवरण के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि, जिस परीक्षणशाला द्वारा प्रश्नगत नमूने का परीक्षण किया गया है, वह दिनांक 13.02.2020, को एक्रीडेटिड घोषित की गयी है, अर्थात् प्रश्नगत नमूने के परीक्षण के दिनांक को खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, गोरखपुर खाद्य एफ0एस0एस0 एक्ट की धारा–43 के अन्तर्गत नोटिफाइड ही नहीं थी। तद्नुसार प्रश्नगत नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अनुसार एक्रिडेटिड लैब से परीक्षित नहीं कराया गया, जिसके अभाव में प्रश्नगत विश्लेषक रिपोर्ट साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। अपीलाथर्लीगण ने अपनी आपत्ति में उपरोक्त बिन्दु को अभिलिखित किया है, परन्तु विचारण न्यायालय ने उपरोक्त बिन्दु पर विवेचना किये बिना ही, प्रश्नगत निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है। तद्नुसार विनिश्चायक बिन्दु संख्या–(ii) निस्तारित किया जाता है।

25. इस प्रकार उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि, विचारण न्यायालय ने उपरोक्त आज्ञापक एवं महत्वपूर्ण बिन्दुओं को नजरंदाज करते हुए प्रश्नगत निर्णय पारित किया है। तद्नुसार अपील स्वीकार किये जाने व विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

(i) सिविल अपील नम्बरी–89/2018, नितेन्द्र तिवारी आदि बनाम उ0प्र0 राज्य आदि स्वीकार की जाती है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद संख्या–01436/2017, सरकार बनाम नितेन्द्र तिवारी आदि, अन्तर्गत धारा–26, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2011 में पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दिनांकित 30.07.2018, निरस्त किया जाता है।

(ii) पत्रावली न्याय निर्णायक अधिकारी को इस निर्देश के साथ सम्प्रेषित की जाती है कि, विचारण न्यायालय निर्णय में अभिलिखित विवेचना के परिप्रेक्ष्य में, पक्षों को सुनकर पुनः गुण–दोष के आधार पर निर्णय पारित करें।

(iii) पक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि, वह दिनांक 03.09.2026 को न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

दिनांकः 05–08–2026

(सै0 माऊज़ बिन आसिम)
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण/
जनपद न्यायाधीश,
मुरादाबाद।
J.O.Code No. UP-1895

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांकः 05–08–2026

(सै0 माऊज़ बिन आसिम)
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण/
जनपद न्यायाधीश,
मुरादाबाद।
J.O.Code No. UP-1895

स्टेनो– राजीव कुमार।